रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-556/2026/1675/22-2-2025-17(387)/2023
लखनऊ : दिनांक: 21 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(च) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस (21 जून, 2025) के अवसर पर जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विक्रम सिंह उर्फ पतन्ने (कैदी संख्या-28304) पुत्र श्री शिवराम, परमनगर जगदीशपुर, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-839/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा० न्यायालय, ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-3, हरदोई के आदेश दिनांक 14.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 12.09.2016 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.01.2023 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2025 तक अपरिहार 20 वर्ष, 21 दिन एवं सपरिहार 25 वर्ष, 10 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-556/2026/1675 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in